न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–358 / 2026
(ललितग्राम थाना कांड सं0–26 / 2024)

	1. मो0 बेचन, पे0 अताबुल 2. मो0 नेहाल, पे0 मो0 बेचन 3. मो0 शफीक उर्फ कारी, पे0 मो0 एयुब सभी साकिन लक्ष्मीनियॉ वार्ड नं0–13, 14 थाना ललितग्राम, जिला सुपौल .....अभियुक्त / आवेदकगण बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
16 / 03 / 26	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदकगण (**1) मो0 बेचन (2) मो0 नेहाल (3) मो0 शफीक उर्फ कारी** की ओर से दाखिल किया गया है, जो ललितग्राम थाना कांड सं0–26 / 2024 अन्तर्गत धारा– 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 126(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता मो0 नासीर खान अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पांडेय को सुना। अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनो पक्षों के बीच सुलह हो चुका है और राजीनामा आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद के पलटा मुकदमा में भी सुलह हो गया है। अभियुक्त आवेदकगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। प्रस्तुत वाद सूचक मो0 मलिक के फर्द बयान के आधार पर संस्थित धारा – 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 126(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सुपौल थाना कांड सं0–26 / 2024 का प्राथमिकी अभियुक्तगण है। अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है "कि दिनांक 17 / 07 / 2024 को 5 बजे शाम में वे अन्य साथियों के साथ मोहर्रम मेल देखने गया था। इसी दरम्यान अभियुक्त आवेदकगण सह अभियुक्तों एवं अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर इनला. गों को बुरी तरीका से हथियार से लैश होकर इनलोगों के उपर हमला कर दिया, जिसे उसके सर के उपर फरसा से मारा तथा उसका सर कट गया और खून बहुत बह गया तथा उपचार हेतु रेफरल अस्पताल राघोपुर में ईलाजरत है।"	Contd

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–358 / 2026
(ललितग्राम थाना कांड सं0–26 / 2024)

लगातार..... 16 / 03 / 26	उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अभियुक्त आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्व मारपीट करने का विशिष्ट आरोप नहीं है। ललितग्राम थाना कांड सं0–29 / 2024 प्रस्तुत वाद का प्रतिलोम वाद है। उभयपक्षों के मध्य मेल व सुलह हो गया है तथा सुलहनामा आवेदन अभिलेख के साथ सलग्न है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुलहनामा आवेदन के आधार पर अभियुक्त आवेदकगण **(1) मो0 बेचन (2) मो0 नेहाल (3) मो0 शफीक उर्फ कारी** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदकगण की ओर से मो0 15,000 / –रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें। लेखापित –हस्ता0– (अनंत सिंह) प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल	